

Consent Letter To Sale Property/Land Through Real Estate Agent

रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से भूमि / संपत्ति के विक्रय के लिए सहमति पत्र

Real Estate Agent: M/s Chaupal Sansadhan Limited

CIN: U74120UP2015PLC072346

विदित है कि मैं अग्रलिखित भूमि / संपत्ति का मालिक, रियल स्टेट एजेंट चौपाल संसाधन लिमिटेड के माध्यम से अपनी सम्पत्ति को बेचने के लिए इच्छुक हूँ.

I प्रथम पक्ष (प्रेषक):

1	संपत्ति के मालिक का नाम	
2	पिता का नाम	
3	आधार	(आधार की कॉपी सलग्न करें)
4	PAN	
5	जरिये:	विक्रय संयोजक (Sale Coordinator)
6	विक्रय संयोजक का नाम	
7	आधार	(आधार की कॉपी सलग्न करें)

II द्वितीय पक्ष:

1	रियल स्टेट एजेंट	चौपाल संसाधन लिमिटेड
2	CIN:	U74120UP2015PLC072346
3	PAN:	AAGCC1378N # GSTIN: 09AAGCC1378N1ZP
4	RERA Number:	UPRERAPRM169839
5	जरिये:	प्रोजेक्ट डायरेक्टर / लैंड मैनेजर
6	नाम	
7	आधार	(आधार की कॉपी सलग्न करें)

III	इस अनुबंध से सम्बंधित अचल सम्पत्ति का विवरण :	
1	सम्पत्ति का प्रकार :	कृषि भूमि / आवासीय भूमि
2	ग्राम/मौजा:	
3	परगना :	
4	तहसील :	
5	जिला :	
6	भूमि का क्षेत्रफल : वर्ग फीट / वर्ग मीटर / विस्वा / बीघा
7	सेगमेंट प्रकार :	----- फ़ीट चौड़ी पक्की सड़क /
8	सम्पत्ति का विवरण:	(खतौनी सलग्न करें)
9	सम्पत्ति के स्वामित्व का श्रोत:	रजिस्ट्री / पुस्तैनी / एग्रीमेंट

हस्ताक्षर भूमि मालिक / प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर विक्रय संयोजक

Consent Letter To Sale Property/Land Through Real Estate Agent

रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से भूमि / संपत्ति के विक्रय के लिए सहमति पत्र

Real Estate Agent: M/s Chaupal Sansadhan Limited

CIN: U74120UP2015PLC072346

IV	सम्पत्ति का वित्तीय विवरण:	
1	प्रथम पक्ष द्वारा तय कीमत:	₹..... प्रति वर्ग मीटर / वर्ग फीट ₹ प्रति विस्वा / प्रति बीघा
2	कुल सम्पत्ति :	वर्ग मीटर / हेक्टेयर
3	निर्माण की स्थिति :	अनिर्मित
4	प्रथम पक्ष को देय मूल्य :	₹
5	देय मूल्य पर एजेंट शुल्क	1 % (एक प्रतिशत) (GST सहित 1.18 %)
6	विक्रय संयोजक का शुल्क	विक्रय संयोजक का कमीशन विक्रय अनुबंध के समय अलग से लिखित में निर्धारित किया जायेगा.
7	अन्य अतिरिक्त खर्च :	सम्पत्ति अधिग्रहण एवं विक्रय से सम्बंधित विधिक खर्च, समझौता शुल्क, विकास खर्च, मार्केटिंग खर्च एवं भारत टैक्स इत्यादि अन्य खर्च वास्तविक खर्च के आधार से क्रेता यानि तृतीया पक्ष के द्वारा वसूल किया जायेगा जिस पर प्रथम पक्ष की कोई देनदारी या लेनदारी नहीं होगी.

V	इस सहमति पत्र को अग्रलिखित शर्तों पर निष्पादित किया जाता है:-	
1	विदित हो कि ऊपर उल्लिखित भूमि का स्वामित्व सम्बंधित सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष का है.	
2	द्वितीय पक्ष (रियल एस्टेट एजेंट) चौपाल संसाधन लिमिटेड ने उक्त सम्पत्ति की विक्रय करवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष के अनुरोध पर ली है.	
3	द्वितीय पक्ष (रियल एस्टेट एजेंट) ने प्रथम पक्ष (सम्पत्ति के विक्रेता) एवं तृतीय पक्ष (सम्पत्ति के क्रेता) अन्य दोनों पक्षों के हितो एवं वित्तीय लेन -देन को सुनिश्चित करने के लिए इस सहमति पत्र को लिया है.	
4	प्रथम पक्ष को दिया जाने वाला सम्पूर्ण धन राशि का भुगतान केवल प्रथम पक्ष द्वारा लिखित में दिए गए बैंक खाते में ही किया जायेगा.	
5	सुरक्षा कारणों से एवं प्रथम पक्ष (विक्रेता) एवं तृतीय पक्ष क्रेता के हितो को सुनिश्चित करने के लिये समस्त लेन - देन द्वितीय पक्ष के बैंक खाते (मध्यस्थ एकाउंट) के द्वारा किया जायेगा।	
6	प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के आपसी सहमति से लिखित रूप में उल्लिखित भूमि मूल्य को बाज़ारी भाव के अनुरूप बदला जा सकता है.	
7	द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को विक्रय विलेख का निष्पादन तीन महीने के भीतर करवाने का आश्वासन दिया है जिसे मार्केट स्थिति के अनुसार आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है.	
8	यह सहमति पत्र किसी भी पक्ष पर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है.	
9	भूमि के मालिकाना सम्बंधित सभी विधिक जाँच एवं कब्ज़ा की स्थिति से संतुष्ट होने के उपरांत उभय पक्षों के मध्य लिखित अनुबंध सम्पादित किया जायेगा.	
10	लिखित अनुबंध के पूर्व किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन - देन द्वितीय पक्ष/ रियल स्टेट एजेंट के द्वारा नहीं किया जायेगा.	

यह सहमति पत्र केवल **तीन महीने** के लिए वैध है.

दिनांक: स्थान:

हस्ताक्षर भूमि मालिक / प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर विक्रय संयोजक